परिपत्र संख्या 07/2017

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन/2017/ 7149 दिनांक : 17/7/17

–: परिपत्र :–

विषय : Ease of Doing Business (EoDB) के बिंदु संख्या–80 की क्रियान्विती के संबंध में।

Ease of Doing Business (EoDB) के बिन्दु संख्या–80–Design and implement a system that allows online application and payment for submission and verification of document and mandate that all applications are submitted online की पालना के क्रम में दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व पक्षकारों द्वारा विभाग के ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर में सम्पत्ति के self valuation एवं पक्षकारों के विवरण से संबंधित लिंक–Property valuation for citizen को अनिवार्य रूप से 01 अगस्त 2017 से ऑनलाईन भरने के निर्देश दिए जाते हैं।

जिन उप पंजीयक कार्यालय में ई–पंजीयन के माध्यम से दस्तावेज पंजीबद्ध किये जाते है उन सभी कार्यालयों में आमजन द्वारा स्वयं घर बैठे अथवा ई–मित्र/सी.एस.सी. के माध्यम से ऑनलाईन ई–पंजीयन पोर्टल पर Property valuation for citizen से संबंधित लिंक जिसमें सम्पत्ति, निष्पादकों एवं गवाहों आदि का विवरण होता है पूर्ण रूप से भरवाकर ही दस्तावेज पंजीयन के लिए स्वीकार किये जावें।

इस व्यवस्था के अंतर्गत आमजन द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत उनके मोबाईल नंबर पर सिटीजन रेफरेन्स नंबर का SMS प्राप्त होगा। प्राप्त सिटीजन रेफरेन्स नंबर का ऑनलाईन ई–पंजीयन में इन्द्राज कर दस्तावेज के पंजीयन हेतु संबंधित पूर्णकालीन पंजीयन कार्यालय में ऑनलाईन टाईमस्लॉट भी बुक कराया जा सकता है। संबंधित पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालय द्वारा आवेदक के मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने हेतु दिनांक व निर्धारित समय की सूचना भिजवाई जायेगी। उक्त सूचना के अनुसार पक्षकार को पंजीयन कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा टाईमस्लॉट की बुकिंग स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

अतः सभी उपमहानिरीक्षकगण एवं पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि ई–पंजीयन से जुड़े हुए उप पंजीयक कार्यालयों के कार्यक्षेत्र में कार्यरत सभी डीडराईटर, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन से जुडे हुए अन्य व्यक्तियों एवं आम जनता को उक्त प्रक्रिया से अवगत कराकर इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जावे। ई–पंजीयन से जुडे हुए प्रत्येक उप पंजीयक कार्यालयों के बाहर भी सूचना बोर्ड पर इस आशय की सूचना प्रदर्शित की जावे।

(डॉ. राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक

क्रमांकः एफ–7(42)जन / 2017 / 7150 – 7750 दिनांक : 17/7/17

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5 / कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
9. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर / जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
12. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी–सचिव, महानिरीक्षक / निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)